कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 435 /14–1, दिनांकःअलीगढ़, अगस्तः 13 ,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम–नगौला के खसरा संख्या–46/3, में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जाने रहे आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।** प्रस्ताव संख्या–19022/2016

संदर्भ– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/58/2018/एफ0सी0/42 दिनांक 17.03.2024.

2. आपका पत्रांक–45/11सी–FP/UP/Others/19022/2018 दिनांक 08.07.2024.

3. प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,अलीगढ़ का पत्रांक–326/14–10,दिनांक 03.08.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद–अलीगढ़ में अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन.एच.–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या–46/3 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से किया गया है, जो कि निम्नवत प्रेषित हैः–

S.No.	Condition	Compliance
1	As per Condition No-7 of in-principal approval, The State Government shall fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest (Conservation) Act, 1980, so as to initiate action in accordance with Van Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam,1980.	प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है– 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् इस कार्यालय के पत्र संख्या–1424/2–1 दिनांक 30.10.2019 (संलग्नक–1) द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत कारण बताओ नोटिस को इस कार्यालय के वनादेश संख्या–03/2–1 दिनांक 15.07.2022 (संलग्नक–2) द्वारा श्री इन्द्रजीत सिंह, सेक्शन अधिकारी (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रचलित कारण बताओ नोटिस के प्रकरण को बिना दण्ड समाप्त करते हुए एतद् द्वारा यह अवगत कराते हुए निस्तारित किया गया कि अचपारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी व क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति पर ई–3 संख्या–058247 दिनांक 20.02.2020 मु0 10000 वसूलने के आधार पर केस को प्रशमित किये जाने के फलस्वरूप अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् पर अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित न होने पर प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया।

		2. श्री अशोक कुमार निमेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या--ई--531 / 2--1371(का0बता0नो0(2) दिनांक 24.09.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री अशोक कुमार निमेष, क्षेत्रीय वन अधिकारी,वर्तमान मे सेवानिवृत्त हो चुके हैं सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। (संलग्नक--3)

संलग्नक:--उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14--1 दिनांकित।

प्रतिलिपि--1--डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व मे एस्सार ऑयल लि0) वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105--06 ग्यारवां तल, सेक्टर--16, नोएडा--201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2--प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 326 /14–10 अलीगढ़ः दिनांकः अगस्त, 03 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन.एच. –93) किमी 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या–46/3, में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू.पी./06/58/2018/एफ.सी./42 दिनांक 17.03.2024, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक–45/11सी–FP/UP/Others/ 19022/2018 दिनांक 08.07.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है–

Sr. No.	Observation	Reply
1	As per Condition No.-7 of Inprincipal approval, the State Government shall fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest Conservation Act, 1980 so as to initiate action in accordance with Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam-1980.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है– 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1424/2–1 दिनांक 30.10.2019 **(संलग्नक–1)** द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत कारण बताओ नोटिस को वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के वनादेश संख्या–03/2–1 दिनांक 15.07.2022 **(संलग्नक–2)** द्वारा श्री इन्द्रजीत सिंह, सेक्शन अधिकारी (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध प्रचलित कारण बताओ नोटिस के प्रकरण को बिना दण्ड समाप्त करते हुए एतद् द्वारा यह अवगत कराते हुए निस्तारित किया गया कि अचपारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी व क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति पर ई–3 संख्या–058247 दिनांक 20.02.2020 मु० 10000 वसूलने के आधार पर केस को प्रशमित किये जाने के फलस्वरूप अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् पर अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित न होने पर प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया।

D I M
आ०का०क०
वन संरक्षक
618

		2. श्री अशोक कुमार निमेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–531 /2–1371(का0बता0नो0(2) दिनांक 24.09.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री अशोक कुमार निमेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी,वर्तमान मे सेवानिवृत्त हो चुके हैं सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः–डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, 2314, तीसरी मंजिल, कोरेन्थम टॉवर, ए–41, सेक्टर–62, नोएडा–201309 (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1425 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ः अक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद्
धनीपुर सेक्शन, अलीगढ़ रेंज।

द्वाराः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः– **कारण बताओ नोटिस।**

आपकी अलीगढ़ रेंज में सेक्शन प्रभारी जवां सेक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 बांयीं पटरी खसरा सं0 46/3, ग्राम–नगौला, तहसील–कोल, में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181 दि0 13.06.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि **"प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनाएं पूर्व से ही चाहरदिवारी के अंदर विद्यमान दिख रही हैं ये कैसी संरचनाएं हैं ?"** इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका प्रर्वतन दल, अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण कर, केस सं0 13/प्रर्वतन दल/अलीगढ़/18–19 दि0 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तावित स्थल की जांच श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गयी, जांच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश व निकास मार्ग पर स्थित संरक्षित वन भूमि 0.201409 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने पर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपको

द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यानिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 की छायाप्रति।
2. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181 दि0 13.06.2018 की छायाप्रति।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 की छायाप्रति।
4. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोरबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः /2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

अनूपशहर रोड़ कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़ पिन–202122, ई–मेलः cfaligarh@gmail.com दूरभाष–0571–2970088

वनादेश सं0– 03 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ःजुलाई 15 ,2022

आदेश

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी जवॉ सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 1424/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 16.12.2019 जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 2300/2–1, दिनांक 23.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया। इस कार्यालय के पत्रांक 3420/2–1, दिनांक 26.06.2020 द्वारा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 16.12.2019 के कम में आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 137/2–1, दिनांक 13.07.2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दु, अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

कारण बताओ नोटिस में आरोपित बिन्दुः–

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी धनीपुर सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार आयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की वॉयी पटरी खसरा संख्या–46/3, ग्राम नगौला, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)लखनऊ के पत्रांक 8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181, दिनांक 13.06.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि **"प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनाऐं पूर्व से ही चाहरदीवारी के अन्दर विद्यमान दिख रही है ये कैसी संरचनाऐं हैं?"** इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका प्रवर्तन दल अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण कर एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी, जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तावित स्थल की जॉच श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गयी। जॉच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट के आने जाने वाले प्रवेश व निकासी मार्ग पर स्थित संरक्षित वन भूमि 0. 201409 हे0 कर पक्का निर्माण कार्य कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड़ का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लिए दोषी है।

अपचारी कर्मचारी का उत्तर दिनांक 16.12.2019

प्रार्थी दिनांक 24.07.2018 में सैक्शन प्रभारी जवॉं एवं वीट प्रभारी सुमेरा वीट एवं अलीगढ़ प्रवर्तन दल सदस्य के रूप में तैनात था प्रार्थी द्वारा अपने सभी पदों पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया गया था। अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की वॉयी पटरी खसरा संख्या–46/3, ग्राम नगौला, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के मालिक अमन अग्रवाल पुत्र श्री झम्मन लाल अग्रवाल जवॉं अलीगढ़ एवं प्रबन्धक एस्सार ऑयल लि0 2314 तीसरी मंजिक टॉवर ए, द कोरेन्यम ए–41 संख्या 62 नोएडा के विरूद्ध थाना जवॉं में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 32(जी), 32(के), 32(आई), 32(सी), 32(1एच) का स्पष्ट उल्लंघन का मुकददमा दर्ज दिनांक 24.07.2018 कराया गया था व नजरी नक्सा भी बनाया गया। एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन/18–19 भी उपरोक्त के खिलाफ दिनांक 24.07.2018 में दर्ज किया गया था। प्रार्थी द्वारा कठोरतम कार्यवाही होने से विभागीय अधिकारियों में खलबली भच गयी तथा दिनांक 25.07.2018 को उप प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज (दिवाकर कुमार वशिष्ठ) द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा अमन अग्रवाल से एकान्त में ले जाकर गुफ्तगू की गयी। गुफ्तगू होने पर प्रार्थी द्वारा थाना जवॉं में लिखाया गया मुकददमा को ड्राप करने हेतु थाना अध्यक्ष जवॉं अलीगढ़ को तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ (दिवाकर कुमार वशिष्ठ) अपने पत्रांक संख्या–11/2–1, दिनांक 27.07.2018 द्वारा पत्र भेजकर मुकददमा ड्राप कराया गया; जिसकी प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ व क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी थी। प्रार्थी द्वारा थाना में मुकददमा दर्ज कराने से कुपित होकर द्वेष भावना से अधिकारियों द्वारा जवॉं सैक्शन से हटाकर धनीपुर सैक्शन में स्थानान्तरण कर दिया गया। प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2018 को जवॉं सैक्शन का चार्ज श्री ओमपाल सिंह, वनदरोगा को व सुमेरा वीट का चार्ज श्री श्यामस्वरूप वनरक्षक को देकर धनीपुर सैक्शन का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया गया था। कोई लापरवाही प्रार्थी द्वारा नहीं बरती गयी थी।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्याः–

एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 चैनेज 92.960 की वांयी पटरी खसरा सं0–46/3 ग्राम नगौला, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के विरूद्ध वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ के पत्रांक 1424/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 16.12.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. प्रस्ताव में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी/06/58/2018/एफ0सी0/181 अलीगढ़ दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्रकरण में आपत्ति लगायी गई कि " प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनायें पूर्व से ही चाहरदीवारी के अन्दर विद्यमान दिख रही हैं, ये कैसी संरचनायें है ? इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया एवं उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रवर्तन दल, अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा केस सं0–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति व ई–3 सं0–058247 दिनांक 20.02.2020 मु0 10000/– रूपये वसूलने के आधार पर केस को प्रशमित किया गया।
2. प्रकरण में वर्तमान में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/58/2018/एफ0सी0/634 अलीगढ़ दिनांक 07.01.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन एवं धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3238/अलीगढ़/19022/2018 दिनांक 31.01.2022 द्वारा

लिखा गया है परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मांग की गई धनराशि एवं अनुपालन आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा दोषियों के विरूद्ध एच–2 केस निर्गत किया गया तथा केस सक्षम स्तर से प्रशमित किया गया। अतः प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही के फलस्वरूप श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद पर अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 चैनेज 92.960 की वांयी पटरी खसरा सं0–46/3 ग्राम नगौला, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य के कम में अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी व क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति पर ई–3 संख्या–058247 दिनांक 20.02.2020 मु0 10000.00 वसूलने के आधार पर केस को प्रशमित किये जाने के फलस्वरूप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा आख्या में अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद पर अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित न होने पर प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण में निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर, अपचारी कर्मचारी के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या तथा समस्त साक्ष्यों व अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद(सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रचलित "कारण बताओ नोटिस" के प्रकरण को बिना दण्ड समाप्त करते हुए एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 115 /2–1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
3. गार्ड बुक/पत्रावली।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

E.C.
15/07

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक–ई–   /2–1371(का0बता0नो0(2), लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2020

सेवा में,

श्री अशोक कुमार निमेष,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,

द्वारा– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

प्रभागीय निदेशक अलीगढ़
क्रमांक 2002
फाईल सं0 2–1
दिनांक 5-10-2020

विषय :– **कारण बताओ नोटिस ।**

अलीगढ़ रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन0एच0–93) कि0मी0 93 के चैनेज 92.960 बांयी पटरी खसरा सं0–46/3, ग्राम–नगौला, तहसील–कोल, में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसकें कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक–8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181, दिनांक 13.06.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयीं कि **''प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनाएं पूर्व से ही चाहरदिवारी के अंदर विद्यमान दिख रही हैं ये कैसी संरचनाएं है?''** इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका प्रवर्तन दल, अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण कर, केस सं0–13/प्रर्वतन दल/अलीगढ़/18–19, दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयीं।

EC
आ0का0 करें
प्रभागीय निदेशक
5/10/20

जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तावित स्थल की जांच श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गयीं, जांच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश व निकास मार्ग पर स्थित संरक्षित वन भूमि 0.201409 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने पर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

क्रमशः 2 पर

आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्य

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 की छायाप्रति ।
2. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181, दिनांक 13.06.2018 की छायाप्रति।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 की छायाप्रति ।
4. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक–11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के कम में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0

पत्रांक–ई– 531 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, उ0प्र0 आगरा को उक्त पत्र की 02 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति श्री अशोक कुमार निमेष, क्षेत्रीय वन अधिकारी को तामील कराकर, दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 2922 /14–1, दिनांकःअलीगढ़, फरवरीः 29 ,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम–नगौला के खसरा संख्या–46/3, में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जाने रहे आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव संख्या–19022/2016

संदर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/58/2018/एफ0सी0/634 दिनांक 07.01.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 11सी–2071/FP/UP/Others/2016 दिनांक 11.01.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ का पत्रांक–3097/14–10, दिनांक 15.02.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद–अलीगढ़ में अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन.एच.–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या–46/3 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन दी गई है। अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से किया गया है, जो कि निम्नवत प्रेषित है:–

S.No.	Condition	Compliance
1	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ द्वारा प्रेषित शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 201 trees in Chherat Forest Block Range & District-Aligarh at the cost of User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रयोक्ता एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु छेरत वन ब्लाक में चिन्हित 201 पौधों के रोपण हेतु अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि से स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा एवं बहुप्रजाति रोपण प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। उक्त हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में 201 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0–1,72,700.00 (एक लाख बहात्तर हजार सात सौ मात्र) ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
4	The State Government shall charge the Net	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 के

	Present Value (NPV) for the 0.201409 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry Vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5- 3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	सम्बन्ध में दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 को निर्गत आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 18.09.2003, 03.10.2006 व 05.02.2009 के कम में निर्धारित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार विभिन्न पार्श्वांकित रिट पिटीशन आदेशों के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 9,57,780/- की दर से 0.201409 × 9,57,780 = 1,92,905.00 (एक लाख बानवे हजार नौ सो पाँच मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29.01.2018 and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एन.पी.वी. की धनराशि रू० 10,87,909.00 (दस लाख सतासी हजार नौ सौ नौ मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
7	The State Government shall fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest (Conservation Act, 1980) so as to enable this office to file a case as per FCA Act and rules.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है- 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् इस कार्यालय के पत्र संख्या-1437/2-1 दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री इन्द्रजीत सिंह, सैक्शन अधिकारी वर्तमान मे सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। 3. श्री अशोक कुमार निमेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-531/2-1371(का0ब0ता0नो0(2) दिनांक 24.09.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री अशोक कुमार निमेष, क्षेत्रीय वन अधिकारी,वर्तमान मे सेवानिवृत्त हो चुके हैं सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ.आर.ए. सम्बन्धित प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व

		फ़ाइल में संलग्न किया गया है। संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
9	Greenery will be maintained by User Agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
10	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
11	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MoRTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission.	प्रस्ताव ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रदर्शित न होने के कारण, सूचनाऐं अपलोड किया जा पाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर आवश्यक सूचनाऐं अपलोड करा दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कार्य करने की अनुमति निर्गत नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
17	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुपालन में समस्त मांग की गयी धनराशि, कैम्पा फण्ड में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है।
18	The Compliance Report shall be uploadedon e-portal (http: //parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन e-portal (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है।
	CA amount as per proposal	1,28,600.00
	CA amount deposited	1,72,700.00
	Difference in amount	44,100.00
	Reason for difference	प्रस्ताव प्रेषित करते समय मजदूरी दर रु० 175 प्रतिदिन होने एवं मजदूरी दर रु० 201 प्रतिदिन होने

	के कारण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
NPV amount as per proposal	1,26,082.00
NPV amount deposited	1,92,905.00
Difference in amount	66,823.00
Reason for difference	भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा एन.पी.वी. दरों में की गयी वृद्धि के कारण एन.पी.वी. मद में जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
Any other amount deposited- (Complete details be provided)	NA
Penal NPV amount as per proposal	1,41,212.00
Penal NPV amount deposited	10,87,909.00
Difference in amount	9,46,697.00
Reason for difference	भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा एन.पी.वी. दरों में की गयी वृद्धि एवं उल्लंघन के समयकाल में वृद्धि होने के कारण दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
CAMPA confirmation	Not required as amount has been submitted by Online e payment process. Online Payment History enclosed herewith.

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि–1–डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व मे एस्सार ऑयल लि0) वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3097/14–10 अलीगढ़ः दिनांकः फरवरी, 15 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन.एच.–93) किमी 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या–46/3, में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू.पी./06/58/2018/एफ.सी./634 दिनांक 07.01.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक–11सी–2071/FP/UP/Others/19022/2018 दिनांक 11.01.2022

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन.एच.–93) किमी 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या–46/3, में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। शर्तवार अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु आपके संदर्भित पत्र द्वारा लिखा गया है। शर्तानुसार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है–

S. No.	Condition	Compliance
1	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 201 trees in Chherat Forest Block Range & District-Aligarh at the cost of User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रयोक्ता एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु छेरत वन ब्लाक में चिन्हित 201 पौधों के रोपण हेतु अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि से स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा एवं बहुप्रजाति रोपण प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। उक्त हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–2 व 3)
3	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में 201 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु०–1,72,700.00 (एक लाख बहात्तर हजार सात सौ मात्र) ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–2 व 3)
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.201409 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry Vide letters No. 5-	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० के सम्बन्ध में दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 को निर्गत आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 18.09.2003, 03.10.2006 व 05.02.2009 के

	1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5- 3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	क्रम में निर्धारित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार विभिन्न पार्श्वांकित रिट पिटीशन आदेशों के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि 9,57,780/– की दर से 0.201409 × 9,57,780 = 1,92,905.00 (एक लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच मात्र) ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2 व 3)**
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
6	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29.01.2018 and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एन.पी.वी. की धनराशि रु० 10,87,909.00 (दस लाख सतासी हजार नौ सौ नौ मात्र) ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2 व 3)**
7	The State Government shall fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest (Conservation Act, 1980) so as to enable this office to file a case as per FCA Act and rules.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को न रोक पाने से दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है– 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1437/2–1 दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री इन्द्रजीत सिंह, सेक्शन अधिकारी वर्तमान मे सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक–4)**(1) 3. श्री अशोक कुमार निमेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, को सम्पर्क मार्ग निर्माण से वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को न रोक पाने के दृष्टिगत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–531/2–1371(का0बता0नो0(2) दिनांक 24.09.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री अशोक कुमार निमेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी,वर्तमान मे सेवानिवृत्त हो चुके हैं सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ.आर.ए. सम्बन्धित प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व फाइल में संलग्न किया गया है। संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–6)**
9	Greenery will be maintained by User Agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–7)**
10	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–8)**
11	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–9)**

12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MoRTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–10)
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–11)
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–12)
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission.	प्रस्ताव ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रदर्शित न होने के कारण, सूचनाऐं अपलोड किया जा पाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर आवश्यक सूचनाऐं अपलोड करा दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कार्य करने की अनुमति निर्गत नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–14)
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–15)
17	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुपालन में समस्त मांग की गयी धनराशि, कैम्पा फण्ड में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–16)
18	The Compliance Report shall be uploaded on e-portal (http: //parivesh.nic.in/).	अनुपालन आख्या को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन e-portal (http://parivesh.nic.in/). पर अपलोड करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–17)
	CA amount as per proposal	1,28,600.00
	CA amount deposited	1,72,700.00
	Difference in amount	44,100.00
	Reason for difference	प्रस्ताव प्रेषित करते समय मजदूरी दर रू० 175 प्रतिदिन होने एवं वर्तमान में मजदूरी दर रू० 201 प्रतिदिन होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
	NPV amount as per proposal	1,26,082.00
	NPV amount deposited	1,92,905.00
	Difference in amount	66,823.00
	Reason for difference	भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा एन.पी.वी. दरों में की गयी वृद्धि के कारण एन.पी.वी. मद में जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
	Any other amount deposited- (Complete details be provided)	NA
	Penal NPV amount as per proposal	1,41,212.00
	Penal NPV amount deposited	10,87,909.00
	Difference in amount	9,46,697.00

	Reason for difference	भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 एवं 19.01.2022 द्वारा एन.पी.वी. दरों में की गयी वृद्धि एवं उल्लंघन के समयकाल में वृद्धि होने के कारण दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु जमा की गयी धनराशि में वृद्धि हुई है।
	CAMPA confirmation	Not required as amount has been submitted by Online e payment process. Online Payment History enclosed herewith.

अतः उपरोक्त शर्तो की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि जमा की पुष्टि हेतु Online Payment History की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः अनुपालन आख्या को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को भेजने का कष्ट करें ताकि विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

15/02/24

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, उ0प्र0 लखनऊ को 12–कॉलम की सूचना सहित। **(संलग्नक– 12–कॉलम की सूचना)**
2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, 2314, तीसरी मंजिल, टॉवर ए,द कोरेन्थम, ए–41, सेक्टर–62, नोएडा–201309 (उ0प्र0)।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

NAYARA ENERGY

To,

Divisional Forest Officer
Social Forestry Division, Aligarh

Subject: Compliance Report of the conditions imposed by Government of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Integrated Regional office) Lucknow in its stage-1 Approval in Principle of Proposal for proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). Regarding permission for non - forestry use of proposed 0.201409 ha. Protected forest land. ***(Online Proposal No.FP/UP/Others/19022/2018).***

Reference: Government of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change Integrated Regional office, Lucknow Stage-1 Approval Letter No. 8B/UP/06/58/2018/FC/634, dated-07.01.2022

Sr. No.	Conditions	Status of Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	As per compliance 1, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that as per Forest (Conservation) Act, 1980 legal status of the forest land will not be changed.
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 201 trees in Chherat Forest Block, Range & District Aligarh at the cost of user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	As per compliance 2, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the cost incurred in plantation of 201 trees in Chherat Forest Block, Range & District Aligarh has been remitted in the Uttar Pradesh CAMPA Fund by the ESSAR Oil Limited. The mixed plantation of indigenous species will be done by Social Forestry Division Aligarh.
3	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	As per compliance 3, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the cost of compensatory afforestation and it's maintenance for 10 year with the appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years as per the demand of the UP Forest Department has been remitted in the U. P. CAMPA Fund by the ESSAR Oil Limited through RTGS. The copy of the challan is attached herewith. The Details of the remitted amount is as bellow:-

Item	Amount (in RS.)	Date of remitted	UTR no.
CA and			

Nayara Energy Limited
World Trade Tower, 1105 - 06, 11th Floor, Sector - 16
Noida, 201301, Uttar Pradesh, India

Registered Office:
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

NAYARA ENERGY

		maintenance for 10 years	172700/-	20.10.2023	SBIN5202310207 9168658

4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.201409 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	As per compliance 4, ESSAR Oil Limited has been submitted the payment for the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land at the rates approved by the ministry and challan copy receipt for the same has been attached.

Item	Amount (in RS.)	Date of remitted	UTR no.
NPV for 0.201409 ha. Forest area	192905/-	20.10.2023	**SBIN520231020791 68658**

5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	As per compliance 5, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, will be paid to the State Government by the ESSAR Oil Limited.
6	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29-01-2018 and deposited to CAMPA fund.	As per compliance 6, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the payment for the penal Net Present Value (NPV) imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29-01-2018 has been submitted to the CAMPA fund and challan copy receipt for the same has been attached.

Item	Amount (in RS.)	Date of remitted	UTR no.
Amount of Penal NPV	1087909/-	20.10.2023	**SBIN520231020791 68658**

7	The State Government shall fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest (Conservation) Act, 1980, so as to enable this office to file a case as per FCA Act and rules.	As per compliance 7, The State Government will fix the responsibility of the official responsible for violation of Forest (Conservation) Act, 1980, so as to enable this office to file a case as per FCA Act and rules.
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District	As per compliance 8, the complete compliance of the FRA, 2006 has been already submitted on Parivesh Portal.

NAYARA ENERGY

	Collector.	
9	Greenery will be maintained by user around Periphery of petrol pump.	As per compliance 9, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the greenery will be maintained by ESSAR Oil Limited around Periphery of petrol pump.
10	User Agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	As per compliance 10, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that it will use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees and the same will be demarcated by 2 feet wall.
11	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	As per compliance 11, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the plantation will also be done along the inside boundary of Fuel Station.
12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	As per compliance 12, Certificate of Divisional Forest Officer certifying that the proposed retail outlet is not in close proximity of any exiting retail outlet has been attached.
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	As per compliance 13, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	As per compliance 14, ESSAR Oii Limited, Noida hereby undertakes that the period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the ESSAR Oil Limited, or the project life, whichever is less.
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencement of works.	As per compliance 15, Forest Department will execute the above work on e-Green watch portal.
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	As per compliance 16, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that to follow any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
17	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/).	As per compliance 17, ESSAR Oil Limited, Noida hereby undertakes that the entire amount has been submitted to CAMPA fund thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/) and challan copy for the same has been attached.

18	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	As per compliance 18, All the compliance report will be uploaded only thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/) by ESSAR Oil Limited, Noida.

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक-1

NAYARA ENERGY

Condition No. 1

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 1, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that Forest (Conservation) Act, 1980 legal status of the forest land will not be changed.

Countersigned

15/02/24

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक- 2

NAYARA ENERGY

Condition No. 2, 3, 4 & 6

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 2, 3, 4 & 6, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that Net Present Value (NPV) Compensatory Afforestation amount and other permissible bills, reimbursement of plantation fund management and planning authority has been deposited in CAMPA fund by e-challan and challan copy for the same has been attached.

Sr. No.	Description/Item	Amount (in Rupee)	Types of Fund Transfer	Date	UTR No.
1	2	3	4	5	6
1.	As per Condition No. 2 & 3, Plantation of 201 trees & Maintenance for 10 years/(CA)	172700/-	RTGS	20.10.2023	SBIN52023102 079168658
2.	As per Condition No. 4, NPV of the proposed protected forest land 0.201409 ha. (At the Revised NPV rate 957780 lakh as per ha as per order on dated 06-01-2022 & 19-01-2022.)/(NPV)	192905/-			
3	As Per Condition No 6, Amount of Penal NPV	1087909/-			
	Total	**1453514/-**			

Countersigned

15/02/24

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date ....15.02.2024.....

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक-3

NAYARA
ENERGY

Sno.	Proposal Detail	Application_Id	Application to (Plan)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	CA [illegible]; PCA [illegible]; Safety Zone [illegible]; NPV [illegible]; Penal NPV [illegible]; Other Charges(1) [illegible]; Other Charges(2) [illegible]; Other Charges(3) [illegible]; Total [illegible]	[illegible]	Fund Received Verified by [illegible]; Nodal Officer On; Bank Name: State Bank Of India; Mode of Payment: [illegible] (Challan); Challan Generated On: [illegible] Oct 2023; Transaction Date: [illegible] Oct 2023	Demand Letter [illegible]; Generate Challan [illegible]

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

Nayara Energy Limited
World Trade Tower, 1105 - 06, 11th Floor, Sector - 16
Noida, 201301, Uttar Pradesh, India

Registered Office:
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116
www.nayaraenergy.com

सं०-4

NAYARA
ENERGY

Condition No. 5

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 5, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that the additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, will be paid to the State Government by the ESSAR Oil Limited.

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date ...15/02/2024.......

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक (4.1)

कार्यालय, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

अनूपशहर रोड़ कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़ पिन–202122, ई–मेलः cfaligarh@gmail.com दूरभाष–0571–2970086

वनादेश सं0– 03 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ःजुलाई 15 ,2022

आदेश

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी जवॉ सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 1424/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 16.12.2019 जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 2300/2–1, दिनांक 23.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया। इस कार्यालय के पत्रांक 3420/2–1, दिनांक 26.06.2020 द्वारा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 16.12.2019 के कम में आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक.137/2–1, दिनांक 13.07.2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दु, अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित उत्तर तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

कारण बताओ नोटिस में आरोपित बिन्दुः–

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ रेंज में सैक्शन प्रभारी धनीपुर सैक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार आयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की बॉयी पटरी खसरा संख्या–46/3, ग्राम नगौला, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)लखनऊ के पत्रांक 8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181, दिनांक 13.06.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि **"प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनाऐं पूर्व से ही चाहरदीवारी के अन्दर विद्यमान दिख रही है ये कैसी संरचनाऐं हैं?"** इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका प्रवर्तन दल अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण कर एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी, जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तावित स्थल की जॉच श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गयी। जॉच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट के आने जाने वाले प्रवेश व निकासी मार्ग पर स्थित संरक्षित वन भूमि 0.201409 हे0 कर पक्का निर्माण कार्य कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड़ का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लिए दोषी है।

(4.1/2)

अपचारी कर्मचारी का उत्तर दिनांक 16.12.2019

प्रार्थी दिनांक 24.07.2018 में सैक्शन प्रभारी जवॉं एवं वीट प्रभारी सुमेरा वीट एवं अलीगढ़ प्रवर्तन दल सदस्य के रूप में तैनात था प्रार्थी द्वारा अपने सभी पदों पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया गया था। अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 की वॉयी पटरी खसरा संख्या–46/3, ग्राम नगौला, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के मालिक अमन अग्रवाल पुत्र श्री झम्मन लाल अग्रवाल जवॉं अलीगढ़ एवं प्रबन्धक एस्सार ऑयल लि0 2314 तीसरी मंजिक टॉवर ए, द कोरेन्यम ए–41 संख्या 62 नोएडा के विरूद्ध थाना जवॉं में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 32(जी), 32(के), 32(आई), 32(सी), 32(1एच) का स्पष्ट उल्लंघन का मुकददमा दर्ज दिनांक 24.07.2018 कराया गया था व नजरी नक्सा भी बनाया गया। एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन/18–19 भी उपरोक्त के खिलाफ दिनांक 24.07.2018 में दर्ज किया गया था। प्रार्थी द्वारा कठोरतम कार्यवाही होने से विभागीय अधिकारियों में खलबली मच गयी तथा दिनांक 25.07.2018 को उप प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज (दिवाकर कुमार वशिष्ठ) द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा अमन अग्रवाल से एकान्त में ले जाकर गुफ्तगू की गयी। गुफ्तगू होने पर प्रार्थी द्वारा थाना जवॉं में लिखाया गया मुकददमा को ड्राप करने हेतु थाना अध्यक्ष जवॉं अलीगढ़ को तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ (दिवाकर कुमार वशिष्ठ) अपने पत्रांक संख्या–11/2–1, दिनांक 27.07.2018 द्वारा पत्र भेजकर मुकददमा ड्राप कराया गया, जिसकी प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ व क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी थी। प्रार्थी द्वारा थाना में मुकददमा दर्ज कराने से कुपित होकर द्वेष भावना से अधिकारियों द्वारा जवॉं सैक्शन से हटाकर धनीपुर सैक्शन में स्थानान्तरण कर दिया गया। प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2018 को जवॉं सैक्शन का चार्ज श्री ओमपाल सिंह, वनदरोगा को व सुमेरा वीट का चार्ज श्री श्यामस्वरूप वनरक्षक को देकर धनीपुर सैक्शन का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया गया था। कोई लापरवाही प्रार्थी द्वारा नहीं बरती गयी थी।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्याः–

एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 चैनेज 92.960 की वांयी पटरी खसरा सं0–46/3 ग्राम नगौला, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के विरूद्ध वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक 1424/2–1, दिनांक 30.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत कारण बताओ नोटिस में श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 16.12.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. प्रस्ताव में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी/06/58/2018/एफ0सी0/181 अलीगढ़ दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्रकरण में आपत्ति लगायी गई कि " प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनायें पूर्व से ही चाहरदीवारी के अन्दर विद्यमान दिख रही हैं, ये कैसी संरचनायें है ? इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया एवं उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रवर्तन दल, अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा केस सं0–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति व ई–3 सं0–058247 दिनांक 20.02.2020 मु0 10000/– रूपये वसूलने के आधार पर केस को प्रशमित किया गया।
2. प्रकरण में वर्तमान में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/58/2018/एफ0सी0/634 अलीगढ़ दिनांक 07.01.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन एवं धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3238/अलीगढ़/19022/2018 दिनांक 31.01.2022 द्वारा

लिखा गया है परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मांग की गई धनराशि एवं अनुपालन आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद द्वारा दोषियों के विरूद्ध एच–2 केस निर्गत किया गया तथा केस सक्षम स्तर से प्रशमित किया गया। अतः प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही के फलस्वरूप श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद पर अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनूपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 चैनेज 92.960 की वांयी पटरी खसरा सं0–46/3 ग्राम नगौला, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य के कम में अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में एच–2 केस संख्या–13/प्रवर्तन दल/अलीगढ़/18–19 दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी व क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति पर ई–3 संख्या–058247 दिनांक 20.02.2020 मु0 10000.00 वसूलने के आधार पर केस को प्रशमित किये जाने के फलस्वरूप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा आख्या में अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद पर अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित न होने पर प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण में निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर, अपचारी कर्मचारी के प्रतिउत्तर पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या तथा समस्त साक्ष्यों व अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त अपचारी कर्मचारी श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद(सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रचलित "कारण बताओ नोटिस" के प्रकरण को बिना दण्ड समाप्त करते हुए एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 115 /2–1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
3. गार्ड बुक/पत्रावली।

15/07/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

E.C.
15/07

4.1/3

ई–मेल: cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1535 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ः अक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद्
धनीपुर सेक्शन, अलागढ़ रेंज।

द्वारा:– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः– **कारण बताओ नोटिस।**

आपकी अलीगढ़ रेंज में सेक्शन प्रभारी जवां सेक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 बांयीं पटरी खसरा सं0 46/3, ग्राम–नगौला, तहसील–कोल, में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181 दि0 13.06.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि **"प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनाएं पूर्व से ही चाहरदिवारी के अंदर विद्यमान दिख रही हैं ये कैसी संरचनाएं है ?"** इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका प्रर्वतन दल, अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण कर, केस सं0 13/प्रर्वतन दल/अलीगढ़/18–19 दि0 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तावित स्थल की जांच श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गयी, जांच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश व निकास मार्ग पर स्थित संरक्षित वन भूमि 0.201409 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने पर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नही की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके

अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) [illegible] 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 की छायाप्रति।
2. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181 दि0 13.06.2018 की छायाप्रति।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 की छायाप्रति।
4. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः /2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

E.C.Branch/Karan Batao notice/con-II

संलग्न-5

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक–ई– /2–1371(का0वता0नो0(2), लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2020

सेवा में,

श्री अशोक कुमार निमेष,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,

द्वारा– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

विषय :– कारण बताओ नोटिस ।

अलीगढ़ रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–अनुपशहर मार्ग (एन0एच0–93) कि0मी0 93 के चैनेज 92.960 बांयी पटरी खसरा सं0–46/3, ग्राम–नगौला, तहसील–कोल, में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 21.11.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसकें कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक–8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181, दिनांक 13.06.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि **"प्रस्तावित भूमि के गूगल इमेज देखने से कुछ स्थायी संरचनाएं पूर्व से ही चाहरदिवारी के अंदर विद्यमान दिख रही हैं ये कैसी संरचनाएं है?"** इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका प्रवर्तन दल, अलीगढ़ वन प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा मौका निरीक्षण कर, केस सं0–13/प्रर्वतन दल/अलीगढ़/18–19, दिनांक 24.07.2018 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तावित स्थल की जांच श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2018 को की गयी, जांच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश व निकास मार्ग पर स्थित संरक्षित वन भूमि 0.201409 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने पर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

छायाप्रति प्रमाणित

क्रमशः 2 पर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

(57)

आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्य

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 की छायाप्रति ।
2. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/06/58/2018/एफ0सी0/181, दिनांक 13.06.2018 की छायाप्रति।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 की छायाप्रति ।
4. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक–11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के कम में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0

पत्रांक–ई– 531 **/उक्त दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, उ0प्र0 आगरा को उक्त पत्र की 02 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति श्री अशोक कुमार निमेष, क्षेत्रीय वन अधिकारी को तामील कराकर, दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ।

रा.कु. गर्ग 24/9/20
(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रिन्सिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स
एण्ड एच0ओ0डी0

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

संलग्नक-6

NAYARA
ENERGY

Condition No. 8

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 8, the complete compliance of the FRA, 2006 has been already submitted on Parivesh Portal.

Countersigned
15/02/24
(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
ALIGARH.

No.21921.FRA-Nagaula

Date.25/01/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF). Government of India's letter No. 11-09/98-FC(pt) dated 28th October 2014 it is certified that 0.201409 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Essar Oil Limited (name of user agency) for Construction of approach road to retail outlet on Anoopshahr-Aligarh Road (NH-93) at Km. 93 Chainage 92.96, Khasra No. 46/3, Village- Nagaula, Block-Jawan (purpose of diversion of forest land) in Aligarh district falls with in jurisdiction of Gram Sabha- Nagaula in Koil tehsil.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted in plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities as per Census-2001 and the Census-2011

(Mukesh Sharma) 18.01.18
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Aligarh.

18/1/18
(Hrishikesh Bhaskar Yashod)
District Magistrate,
Aligarh.

DISTRICT MAGISTRATE ALIGARH (U.P.)
जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ (उ०प्र०)

D/man/petrol pump/Tc com.

संलग्नक-9

NAYARA
ENERGY

Condition No. 9

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 9, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that the greenery will be maintained by ESSAR Oil Limited around Periphery of petrol pump.

Countersigned
15/02/24
(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक-18

NAYARA
ENERGY

<u>**Condition No. 10**</u>

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 10, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that it will use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees and the same will be demarcated by 2 feet wall.

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

Countersigned
15/04/24
(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/04/2024

संलग्नक-09

NAYARA
ENERGY

Condition No. 11

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 11, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that the plantation will also be done along the inside boundary of Fuel Station.

Countersigned
15/02/24
(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक–10

Condition No. 12

CERTIFICATE

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to Indian Oil Corporation Ltd. proposed retail outlet located on Aligarh-Anoopshahar Road (NH-509) km 92 (Ch. 92.960) (LHS) at Khasra No. 46/3 Vill.-Nagaula, Teh.-Koil, Distt-Aligarh. As per Condition No. 12, it is certified that proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013.

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forest Division, Aligarh.

संलग्नक - 11

NAYARA
ENERGY

Condition No. 13

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 13, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that the boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/04/2024

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक-12

NAYARA
ENERGY

Condition No. 14

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 14, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that the period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the ESSAR Oil Limited, or the project life, whichever is less.

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 18/04/2024

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

संलग्नक-14

NAYARA
ENERGY

Condition No. 15

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 15, Forest Department will execute the above work on e-Green watch portal.

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

सं॰नक - 15

NAYARA
ENERGY

Condition No. 16

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 16, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that to follow any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social-Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

संलग्नक - 16

NAYARA
ENERGY

Condition No. 17

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 17, **ESSAR Oil Limited** hereby undertakes that the entire amount has been submitted to CAMPA fund thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/) and challan copy for the same has been attached.

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/04/2024

संलग्न-17

NAYARA
ENERGY

Condition No. 18

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to ESSAR Oil Limited Retail Outlet on Aligarh-Anoopshaher Road NH-93 in Km. No. 93 (CH. No. 92.960, LHS) at Khasra No. 46/3, Village: -Nagaula, Tehsil:- Kol, District:- Aligarh (U.P). As per compliance 18, All the compliance report will be uploaded only thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/) by ESSAR Oil Limited, Noida.

(Authorized Signatory)

ESSAR Oil Limited, Noida

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 15/02/2024

To,

Officer on Special Duty,
Ad-hoc CAMPA,
202 Trikoot I, Bhikaji Cama Place,
New Delhi-110066

Please confirm the amount whether deposited in CAMPA or not through return Email of vermalalji68@gmail.com

PROFORMA

1	Name of the Regional office	Lucknow
2	State/Distt./Forest Division to which the proposal relates	Social Forestry Division, Aligarh
3	Name of the User Agency, nature of proposal	Indian Oil Corporation Ltd
4	Extent of forest area involved	0.201409 ha.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease, pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	No
7	Date of 1st Stage Clearance	07.01.2022
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz:	
	(a) Compensatory Afforestation	**Rs. 1,72,700.00 (One lakh seventy two thousand seven hundred only)**
	(b) Additional CA	--
	(c) Penal CA	--
	(d) Catchment area treatment	--
	(e) Wildlife Management Plan	--
	(f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	--
	(g) Net Present Value	**Rs. 1,92,905.00 (One lakh ninety two thousand nine hundred five only)**
	(h) Any other charges/ Levies(pl Specify)	--
	Penal NPV	**Rs. 10,87,909.00 (Ten lakh eighty seven thousand nine hundred nine only)**
9	Details of Bank (Bank, Draft no., Date & Amount), headwise against items indcated in paragraph & above.	--
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Amount has been deposited by Generated Challan from e-payment portal **UTR No. SBIN52023102079168658 Date: 20.10.2023** **Amount: 1453514.00**
11	Bank (corporation bank, lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition	Union Bank of India, FCS Bangalore Date of Deposition- 20.10.2023
12	Any other remarks	--

Division Director,
Social Forestry Division, Aligarh